## निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 42 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल** के माह 11/2014 से 09/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस.एस. दरियाल,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक एवं श्री जितेन्द्र तमोली, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 05/10/2017 से 12/10/2017 तक श्री अनिल कुमार जैन वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

### भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संजीव कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्रई दिनेश कुमार, पर्यवेक्षक एवं श्री जयन्त प्रकाश, व.लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 28/11/2014 से 04/12/2014 तक श्री आर.एस. नेगी-II, लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2012 से 10/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः राज्य एवं केन्द्र पोषित योजनाओं जोकि सम्पूर्ण जिला।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | अवशेष | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | स्थापना | | गैर स्थापना | |
| | स्थापना ` | गैर स्थापना ` | आवंटन ` | व्यय ` | आवंटन ` | व्यय ` | आधिक्य (+) □ | बचत (-) □ | आधिक्य (+) □ | बचत (-) □ |
| 2012-13 | | | 210.79 | 210.79 | 204.89 | 199.89 | | | | |
| 2013-14 | | | 22874445 | 22874445 | 45027000 | 41549642 | | | | |
| 2014-15 | | | 23811176 | 23811176 | 51424160 | 47755703 | | | | |
| 2015-16 | | | 23854267 | 23190677 | 57792461 | 51686010 | | | | |
| 2016-17 | | | 25847000 | 24010799 | 34786297 | 27230491 | | | | |

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष ` | प्राप्त ` | व्यय अधिक्य (+) ` | बचत (-) ` |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | केन्द्र पोषित योजनाए | | 3.46 | 3.46 | - |
| 2014-15 | | | 134.41 | 121.10 | 10.31 |
| 2015-16 | | | 262.73 | 245.05 | 17.68 |
| 2016-17 | | 49.19 | 12.19 | 12.19 | 49.19 |

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **C** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव

निदेशक

अतिरिक्त निदेशक

संयुक्त निदेशक

उपनिदेशक

मुख्य कृषि अधिकारी

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में लेनदेन की लेखापरीक्षा, **मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन

पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना योजना** का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम स्वीकृत एवं व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13,** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

**भाग-II 'अ'**

-शून्य-

## भाग दो 'ब'

**<u>प्रस्तर 1- ` 18.84 लाख ब्ययोपरांत भी बायो कंट्रोल प्रयोगशाला में उत्पादन न किया जाना</u>**

मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल कार्यालय की लेखा परीक्षा के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से संबन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत स्टेट बायो कंट्रोल लैब को मजबूती (strengthening) प्रदान करने हेतु दिनांक 24 नवंबर 2011 को कृषि विभाग को रु0 45.30 लाख उपलब्ध कराया गया जिसमें से रु0 22.65 लाख स्टेट बायो कंट्रोल लैब, भीमताल हेतु धनराशि आवंटित की गई। उक्त धनराशि में से वर्ष 2014-15 में रु0 12,27,460.00 एवं वर्ष 2015-16 में रु0 6,56,250.00 कुल रु0 18,83,713.00 का उपकरण क्रय किया गया एवं अवशेष धनराशि रु0 381287.00 आतिथि तक व्यय नहीं हुआ है। अधिकत्तर यंत्र-सयन्त्र भी तीन वर्ष से पूर्व ही क्रय किया गया है, (संलग्न विवरण पत्रानुसार) इससे स्पष्ट है कि क्रय की गई यंत्र-सयंत्रो की वारंटी/ गारंटी भी समाप्त हो चुकी होगी। इस प्रकार प्रश्नगत लैब मद में की गई ब्यय निरर्थक रहा। इसे इंगित करने पर बिभाग ने उत्तर में बताया कि "प्रयोगशाला हेतु निर्मित भवन के जरूरी मरम्मत हेतु कृषि निदेशालय से रु0 14.20 लाख की मांग की गई है एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त करने हेतु स्वीकृति हेतु निदेशालय को प्रेषित किया गया है एवं अवशेष धनराशि रु 3,81,287.00 उत्पादन प्रारम्भ होने पर अनिवार्य उपकरणो/कार्यो हेतु रखी गई है। "

बिभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि किसानो के हितलाभार्थ तीन वर्ष से अधिक रु0 18.84 लाख प्रयोगशाला पर ब्यायोपरांत भी बिभाग की उदासीनता के कारण उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया जा सका है, जो कि गंभीर बित्तीय अनियमितता तथा कृषि बिभाग का कृषको के प्रति असंबेदनशीलता का द्योतक है।

प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

**<u>STAN</u>**

**प्रस्तर 1- <u>उच्चाधिकारियों के आदेशो के बिपरीत कीटनाशक/रसायन खरीद कर ` 52.05 लाख का अनावश्यक दायित्व सृजन किए जाना</u>।**

कार्यालय मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल की लेखा परीक्षा के दौरान कीटनाशक/रसायन खरीद से संबन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया कि वर्ष 2016-17 में क्रय की गई कीटनाशक/रसायन के सापेक्ष अभी 7,25,702.00 तथा वर्ष 2017-18 का ` 44,79,514.00 कुल `5205216.00 भुगतान किया जाना शेष है जबकि कृषि निदेशालय, उत्तराखंड के निर्देशानुसार "कृषि रक्षा अधिकारी अपनी मांग के अनुसार तथा बजट की उपलब्धता के अनुसार ही क्रय आदेश आपूर्तिकर्ता फर्म को प्रेषित करें" इसके विपरीत बिना धनराशियाँ

उपलब्धता सुनिश्चित किए ही आपूर्तिकर्ता फर्मो को आपूर्ति आदेश जारी कर `5205216.00 की रसायन मंगाकर विकासखंडों को जारी/आपूर्ति किया गया है, अर्थात निदेशक, कृषि के आदेश का अवमानना कर मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा `5205216.00 का अनावश्यक दायित्व का सृजन किया गया है। इसे इंगित करने पर बिभाग ने उत्तर में बताया कि ***"खरीफ एवं रबी फसलों हेतु समय पर रसायन की उपलब्धता को मध्यनजर रखते हुये रसायनो का क्रय आदेश निदेशालय के अनुबंध के अनुरूप किया जाता है"।*** विभाग की उत्तर से स्पष्ट है कि बिना धन की उपलब्धता सुनिश्चित किए ही आपूर्ति आदेश जारी कर कीटनाशक/रसायनो की आपूर्ति करवाया जा रहा है, जो कि निदेशालय के आदेशो का स्पष्ट अवहेलना है। अतः उच्चाधिकारियों के आदेशो के बिपरीत कीटनाशक/रसायन खरीद कर ` 5205216.00 का अनावश्यक दायित्व सृजन किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

**STAN**

**<u>प्रस्तर 2 -</u> रु0 2.60 लाख की वसूली न किया जाना ।**

मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल के क्रयित रसायन वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के अभिलेखो की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि संलग्नक के क्रम संख्या 2 से 7, 13 से 15 एवं 22 से 24 में दर्शाये गए विवरण के अनुसार रसायन की आपूर्ति, आपूर्ति आदेश की तिथि से एक महीने से ज्यादा अवधि के पश्चात फर्म द्वारा की गई। संलग्नक के क्रम संख्या 25 से 34 में दर्शाये गए विवरण के अनुसार आतिथि तक रसायन की आपूर्ति फर्म द्वारा नहीं की गईं। उक्त 22 रसायनो का आपूर्तित मूल्य रु0 51,91,092.00 है।

आपूर्ति आदेश के शर्तो के अनुसार फर्म को आपूर्ति आदेश प्राप्ति के 15 दिन के अंदर विभाग को रसायन की आपूर्ति की जानी है। क्रय आदेश निर्धारित समय सीमा के पश्चात स्वतः निरस्त समझा जाएगा साथ ही क्रयित किए जाने वाले रसायनो के मूल्य का 5% जमानती धनराशि जब्त कर ली जाएगी एवं ऐसी दशा में विभाग द्वारा संबन्धित फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।

उपर वर्णित क्रय आदेशो की शर्तों के अनुसार जिसमे आपूर्ति आदेश प्राप्ति के तिथि के 15 दिन के पश्चात उपर दिये गए फर्मो के विरुद्ध उपर वर्णित नियमों के अनुसार क्रय आदेश के विरुद्ध फर्म द्वारा रसायन आपूर्ति समय पर न करने पर आपूर्तित मूल्य रु0 51,91,092.00 का 5% जमानती धनराशि रु0 2,59,555.00 जब्त किया जाना चाहिए था जो विभाग द्वारा नहीं किया गया।

इसे इंगित करने पर विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुये अपने उत्तर में बताया कि "भविष्य में परिपालन सुनिश्चित किया जाएगा। "

इस प्रकार रसायन आपूर्ति आदेश के शर्तों के विपरीत आपूर्ति किए जाने पर प्रश्नगत फ़र्मों से रु0 2.60 लाख वसूली का प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग-III

(इस भाग में विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

| **निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या** | **भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या** | **भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या** |
|---|---|---|
| 28/2001-02 | 1,2 | - |
| 04/2000 से 05/2006 | 2 | - |
| 170/2008-09 | - | 1 STAN-1 |
| 75/2007-08 | 1 | - |
| 70/2014-15 | - | 1 STAN-1 |

अन्य 2002-03 से पूर्व के प्रस्तर हैं।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 28/2001-02 | भाग-II 'अ' प्रस्तर- 01,02 | | विभागीय उत्तर में बताया गया कि अनुपालन आख्या प्रेषित किया गया है पुनः प्रेषित कर दिया जायेगा अतः उक्त प्रस्तर यथावत रखा जा सकता है। | |
| 04/2000 से 5/2006 | भाग-II 'अ' प्रस्तर- 02 | | | |
| 170/2008-09 | भाग-II 'ब' प्रस्तर-01 STAN-1 | | | |
| 75/2007-08 | भाग-II 'अ' प्रस्तर- 01 | | | |
| 70/2014-15 | भाग-II 'ब' प्रस्तर-01 STAN-1 | | विभागीय उत्तर तथ्यात्मक नहीं है अतः प्रस्तर यथावत रखा जा सकता है। | |

## भाग-IV

### इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-शून्य-

## भाग-V

## आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) बिना धनराशि उपलब्धता सुनिश्चित किये ही रसायन/संसाधनों की खरीद केन्द्र पोषित योजनाओं का वित्तीय वर्ष में ही व्यय न किया जाना।

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

| क्रम सं0 | नाम | पदनाम | |
|---|---|---|---|
| (i) | डा. ए.के. वर्मा | मुख्य कृषि अधिकारी | विगत लेखापरीक्षा से 24/08/2015 |
| (ii) | श्री धनपत कुमार | मुख्य कृषि अधिकारी | 24/08/2015 से आतिथि तक। |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (आर्थिक क्षेत्र-2) कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी**
**आर्थिक क्षेत्र-2**